रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 5, 2013/श्रावण 14, 1935
No. 394] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 5, 2013/SRAVANA 14, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
(केंद्रीय कार्यालय)
अधिसूचना
मुंबई, 5 मार्च, 2013

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पांचवा संशोधन) नियमावली, 2013

सा.का.नि. 532(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पांचवा संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलाएंगे।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियम 10 में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में, विनियम 10 में, उप-विनियम 'बी' के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

''सी. भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति, समय-समय पर यथा संशोधित, संबंधित सेबी (शेयरों के भारी मात्रा में अर्जन और टेकओवर) विनियमावली, 2011 के अनुपालन के अधीन, खुले प्रस्ताव वाले (open offer)/सूचीबद्धता से हटे (delisting)/निकासी प्रस्ताव वाले (exit offer) शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों के अर्जन के लिए, समय-समय पर यथा संशेधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक के पास भारतीय रुपए में एस्क्रो खाता खोल सकता है। ऐसे एस्क्रो खाते का

निधीयन सामान्य बैंकिंग चैनल के मार्फत आवक विप्रेषणों और/अथवा समय-समय पर यथा संशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली में विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा जारी गारंटी के मार्फत किया जा सकता है।

[सं. फेमा 265/2013-आरबी]

रुद्र नारायण कर, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी:—मूल विनियमावली, सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में 8 मई, 2000 के सा.का.नि. सं. 406(अ) के जरिये प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी :

02.03.2001 के सा.का.नि. सं. 158 (अ)
13.03.2001 के सा.का.नि. सं. 175 (अ)
14.03.2001 के सा.का.नि. सं. 182 (अ)
02.01.2002 के सा.का.नि. सं. 4 (अ)
19.8.2002 के सा.का.नि. सं. 574 (अ)
18.03.2003 के सा.का.नि. सं. 223 (अ)
18.03.2003 के सा.का.नि. सं. 225 (अ)
22.07.2003 के सा.का.नि. सं. 558 (अ)
23.10.2003 के सा.का.नि. सं. 835 (अ)
22.11.2003 के सा.का.नि. सं. 899 (अ)
07.01.2004 के सा.का.नि. सं. 12 (अ)
23.04.2004 के सा.का.नि. सं. 278 (अ)
16.07.2004 के सा.का.नि. सं. 454(अ)
21.09.2004 के सा.का.नि. सं. 625 (अ)
08.12.2004 के सा.का.नि. सं. 799 (अ)
01.04.2005 के सा.का.नि. सं. 201 (अ)
01.04.2005 के सा.का.नि. सं. 202 (अ)
25.07.2005 के सा.का.नि. सं. 504 (अ)
25.07.2005 के सा.का.नि. सं. 505 (अ)
29.07.2005 के सा.का.नि. सं. 513 (अ)
22.12.2005 के सा.का.नि. सं. 738 (अ)
19.01.2006 के सा.का.नि. सं. 29 (अ)
11.07.2006 के सा.का.नि. सं. 413 (अ)
14.11.2007 के सा.का.नि. सं. 712 (अ)
14.11.2007 के सा.का.नि. सं. 713 (अ)
29.11.2007 के सा.का.नि. सं. 737 (अ)
05.08.2008 के सा.का.नि. सं. 575 (अ)
30.12.2008 के सा.का.नि. सं. 896 (अ)
01.12.2009 के सा.का.नि. सं. 851 (अ)
21.04.2010 के सा.का.नि. सं. 341 (अ)
03.08.2012 के सा.का.नि. सं. 606 (अ)
10.11.2012 के सा.का.नि. सं. 821 (अ)
30.10.2012 के सा.का.नि. सं. 796 (अ)
30.10.2012 के सा.का.नि. सं. 797 (अ)
31.12.2012 के सा.का.नि. सं. 945 (अ)
30.10.2012 के सा.का.नि. सं. 795 (अ)
31.12.2012 के सा.का.नि. सं. 946 (अ)
..... के सा.का.नि. सं. ..... (अ)
22.01.2013 के सा.का.नि. सं. 38 (अ)
..... के सा.का.नि. सं. ..... (अ)
..... के सा.का.नि. सं. .....(अ)

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th March, 2013

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Fifth Amendment) Regulations, 2013

G.S.R. 532(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 20/2000-RB, dated 3rd May, 2000) namely:—

1. Short Title & Commencement

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Fifth Amendment) Regulations, 2013.

(ii) They shall come into force from the date of publication in Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 10

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA. 20/2000-RB, dated 3rd May, 2000), in Regulation 10, after sub-regulation B, the following sub-regulation shall be added, namely :—

"C. A person resident outside India may open an Escrow account with an authorized dealer bank in Indian Rupees in India, subject to the terms and conditions as specified in the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000, as amended from time to time for acquisition of shares or convertible debentures through open offers/delisting/exit offers, subject to compliance with the relevant SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended from time to time. Such Escrow account may be funded by way of inward remittance through normal banking channel and/or by way of guarantee issued by an authorized dealer bank, subject to terms and conditions as specified in the Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations, as amended from time to time."

[No. FEMA 265/2013-RB]

RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager-in-Charge

Foot Note : The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* G.S.R. No. 406 (E), dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under :—

G.S.R. No. 158 (E), dated 02.03.2001
G.S.R. No. 175 (E), dated 13.03.2001
G.S.R. No. 182 (E), dated 14.03.2001
G.S.R. No. 4 (E), dated 02.01.2002
G.S.R. No. 574(E), dated 19.08.2002
G.S.R. No. 223 (E), dated 18.03.2003
G.S.R. No. 225 (E), dated 18.03.2003
G.S.R. No. 558 (E), dated 22.07.2003
G.S.R. No. 835 (E), dated 23.10.2003
G.S.R. No. 899 (E), dated 22.11.2003
G.S.R. No. 12 (E), dated 07.01.2004
G.S.R. No. 278 (E), dated 23.04.2004
G.S.R. No. 454 (E), dated 16.07.2004
G.S.R. No. 625 (E), dated 21.09.2004
G.S.R. No. 799 (E), dated 08.12.2004
G.S.R. No. 201 (E), dated 01.04.2005
G.S.R. No. 202 (E), dated 01.04.2005
G.S.R. No. 504 (E), dated 25.07.2005
G.S.R. No. 505 (E), dated 25.07.2005
G.S.R. No. 513 (E), dated 29.07.2005
G.S.R. No. 738 (E), dated 22.12.2005
G.S.R. No. 29 (E), dated 19.01.2006
G.S.R. No. 413 (E), dated 11.07.2006
G.S.R. No. 712 (E), dated 14.11-2007
G.S.R. No. 713 (E), dated 14.11.2007
G.S.R. No. 737 (E), dated 29.11.2007
G.S.R. No. 575 (E), dated 05.08.2008
G.S.R. No. 896 (E), dated 30.12.2008
G.S.R. No. 851 (E), dated 01.12.2009
G.S.R. No. 341 (E), dated 21.04.2010
G.S.R. No. 606 (E), dated 03.08.2012
G.S.R. No. 821 (E), dated 10.11.2012
G.S.R. No. 796 (E), dated 30.10.2012
G.S.R. No. 797 (E), dated 30.10.2012
G.S.R. No. 945 (E), dated 31.12.2012
G.S.R. No. 795 (E), dated 30.10.2012
G.S.R. No. 946 (E), dated 31.12.2012
G.S.R. No. .....(E), dated.....
G.S.R. No. 38 (E), dated 22.01.2013
G.S.R. No. ..... (E), dated.....and
G.S.R. No. ..... (E), dated .....

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.